BULANDSHAHR POLICE

दिनाँक 13 अक्टूबर, 2024 **CRACKDOWN BULANDSHAHR** **थाना खुर्जा नगर**

हत्या की घटना में वांछित बदमाशों के साथ थाना खुर्जा नगर पुलिस की हुई मुठभेड़, जवाबी कार्यवाही 02 बदमाश घायलावस्था में गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त अवैध असलहा, कारतूस, बाइक बरामद।

अवगत कराना है कि दिनांक 12/13.10.2024 की रात्रि को थाना खुर्जा नगर पुलिस एक अभिसूचना के आधार पर मदनपुर चौराहे पर संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चैकिंग कर रही थी उसी समय ग्राम मदनपुर रोड से एक बाइक पर 02 संदिग्ध व्यक्ति आते हुए दिखाई दिये जिनको रूकने का इशारा किया गया तो नही रुके बल्की बाइक को तेजी से मोड़कर वापस ग्राम मदनपुर की तरफ भागने का प्रयास करने लगे। जिसपर बदमाशो की बाइक कुछ दूरी पर अनियन्त्रित होकर फिसल गयी। बदमाशों द्वारा अपने आपको पुलिस से घिरता देख पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गयी, पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में 02 बदमाशों के पैर में गोली लगने से घायल हो गये जिनको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार/घायल बदमाशों की पहचान 01. बाबूलाल पुत्र लोकेन्द्र निवासी ग्राम कमालपुर भदौरा थाना खुर्जा नगर जनपद बुलन्दशहर 02. गोलू पुत्र चौधरी विजेन्द्र सिंह निवासी मौ0 विमलानगर खुर्जा जंक्शन थाना खुर्जा नगर जनपद बुलन्दशहर के रुप में हुई हैं। जिनको उपचार हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बदमाशों के कब्जे से हत्या की घटना में प्रयक्त अवैध असलहा, कारतूस व बाइक बरामद हुई है।

उल्लेखनीय है कि बदमाश शातिर किस्म के अपराधी हैं। अभियुक्त बाबूलाल व गोलू ने दिनांक 09.10.2024 को पैसे के लेन-देन को लेकर मौ0 विमलानगर निवासी गौरव की गोली मारकर हत्या कर दी थी। जिसके सम्बन्ध में थाना खुर्जा नगर पर घटना के सम्बन्ध में मुअसं 953/24 धारा 103 बीएनएस पंजीकृत है तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु निरंतर प्रयास किये जा रहे थे।

गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम पता-

1. बाबूलाल पुत्र लोकेन्द्र निवासी ग्राम कमालपुर भदौरा थाना खुर्जा नगर जनपद बुलन्दशहर।
2. गोलू पुत्र चौधरी विजेन्द्र सिंह निवासी मौ0 विमलानगर खुर्जा जंक्शन थाना खुर्जा नगर जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी-

1- 01 हीरो स्प्लेंडर बाइक रंग काला(DL 7S AS 8802)-घटना में प्रयुक्त

2- 02 तमंचा 315 बोर मय 03 जिन्दा, 03 खोखा कारतूस।

अभियुक्त बाबूलाल का आपराधिक इतिहास-

1- मुअसं-953/24 धारा 103 बीएनएस थाना खुर्जा नगर जनपद बुलन्दशहर।

2- मुअसं-967/24 धारा 109 बीएनएस व 9/25/27 आयुध अधि0 थाना खुर्जा नगर जनपद बुलन्दशहर।

अभियुक्त गोलू का आपराधिक इतिहास-

1- मुअसं-953/24 धारा 103 बीएनएस थाना खुर्जा नगर जनपद बुलन्दशहर।

2- मुअसं-967/24 धारा 109 बीएनएस व 9/25/27 आयुध अधि0 थाना खुर्जा नगर जनपद बुलन्दशहर।

अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना खुर्जा नगर पर अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- श्री राजपाल सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना खुर्जा नगर।

2- उ0नि0 सुमित, उ0नि0 सतीश थाना खुर्जा नगर।

3- है0का0 ईनाम सैफी, है0का0 सितम सिंह, है0का0 आशीष कुमार, है0का0 प्रवेश बैसला, का0 श्यामू सिंह, का0 गोपाल चौधरी, का0 कृष्णा सिंह थाना खुर्जा नगर।

मीडिया सेल बुलंदशहर